
	<p><b>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड</b> (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company” <b>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</b> जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p><b>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company” <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- SriGanganagar</p>	
---	--	---	---

सी.एस.एफ./2-65/पल्लेदारी/कृषि/सू0/2021-22/

दिनांक:- 25.06.2021.

### निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ खण्ड संख्या 2 व 3 की खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022 की (1)पल्लेदारी व (2)उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई आदि कार्यों हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक **16.07.2021** को अपरान्ह 1:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 2:30 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी । एक ठेकेदार को तीनों खण्डों का ठेका नहीं दिया जायेगा। निविदाएं देने से पहले रुपये 25,000.00 मात्र (कार्य 1) व रुपये 10,000.00 मात्र (कार्य 2) के लिए (पल्लेदारी व उत्पादन उतारना व साफ सफाई के लिए) अमानत राशि और रू. 118/- निविदा फार्म का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य सन्तोषतनक ढंग से पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल निविदादाताओं की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को पेन नम्बर,वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती है।

**प्रबन्धक(उ.)**  
**कृते निदेशक**

## केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

### विनोडिंग सेंटर की पल्लेदारी कार्य का ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्तें खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022.

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में धरोहर राशि **रूपये 25,000/-** मात्र का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होंगे। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नहीं होगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन न्यूनतम निविदादाताओं में से ही नियमानुसार नेगोसियेशन किया जायेगा। शर्त संख्या 1 के अनुसार मान्य निविदा प्रपत्र वालों को ही बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता ठेके के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शर्त ऑफर अस्वीकार होगी तथा उन्हे रद्द (निरस्त) समझा जायेगा।
4. ठेके के नियम व शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ या उन्हीं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास सुरक्षित होगा।
5. **खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022** में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 1 लाख क्विंटल है। यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है तथा ठेकेदार को अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
6. पल्लेदारी के विभिन्न कार्यों का विवरण इस प्रकार है, बोरी भराई, , बोरी सिलाई, बोरी को ट्रक/ट्रॉली में लादना, बोरियों को ट्रक/ट्रॉली से उतारना, तथा विनोडिंग सेंटर या गोदाम में 18 बोरियों की ऊंचाई तक चट्टा लगाना, जिस उत्पादन की बोरी भराई की गयी है उसके बचे माल को झाड़ू लगाकर पूरा माल बोरी में भराना, बोली प्रति क्विंटल की दर से होगी।
7. न्यूनतम बोली स्वीकार होने के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को भेज दी जायेगी जिसको प्राप्ति के बाद कार्य शुरू करना होगा।
8. ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद पूर्ण हो जाने के बाद अमानत राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी।
9. निगम विभिन्न कार्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) **रूपये 500/-** के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा।
11. पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोडिंग अनलोडिंग या चट्टा लगाते समय ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।
12. ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।
13. ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित 24 घण्टे पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाए श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. ठेके की समाप्ति के पहले सफल निविदादाता के कार्य का आंकलन फार्म समिति द्वारा किया जायेगा, कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में समान दरों पर ही व नियम एवं शर्तों के अधीन ही उक्त ठेके को अगले वर्ष के होने वाले टेंडर के फाईनल होने तक कार्य करना होगा।
17. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

## केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

### विनोडिंग सेंटर पर उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई आदि कार्यो हेतु ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्तें खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय मे धरोहर राशि रूपये 10,000/- मात्र का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होंगे। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नहीं होगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन न्यूनतम निविदादाताओं में से ही नियमानुसार नेगोसियेशन किया जायेगा। शर्त संख्या 1 के अनुसार मान्य निविदा प्रपत्र वालों को ही बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता ठेके के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शर्त ऑफर अस्वीकार होगी तथा उन्हें रद्द (निरस्त) समझा जायेगा।
4. ठेके के नियम व शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ या उन्हीं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास सुरक्षित होगा।
5. **खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022** में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 1 लाख क्विंटल है। यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है तथा ठेकेदार को अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
6. विनोडिंग सेंटर पर विभिन्न कार्यो का विवरण इस प्रकार होगा, उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई करना, बोरी भराई, बोरी सिलाई, बोरी भराई के बाद बचे उत्पाद को झाड़ू से इकठा कर बोरी में भरवाना, विनोडिंग सेंटर पर आये फसलों के उत्पाद की विभिन्न श्रेणियों को मिश्रण से बचाने के लिए झाड़ू वाले आदमी की लगाकर अलग-2 रखना आदि कार्य करना। दर प्रति क्विंटल देनी होगी।
7. न्यूनतम बोली स्वीकार होने के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को भेज दी जायेगी जिसको प्राप्ति के बाद कार्य शुरू करना होगा।
8. ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद पूर्ण हो जाने के बाद अमानत राशि के बिना व्याज लौटा दी जायेगी।
9. निगम विभिन्न कार्यो के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा।
11. उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई, बोरी भराई, बोरी ढुलाई, बोरी सिलाई,आदि कार्य के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।
12. ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।
13. ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित 24 घण्टे पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाए श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकरान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं में अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एवं कोन्सिलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/पक्षकरान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
17. ठेके की समाप्ति के पहले सफल निविदादाता के कार्य का आंकलन फार्म समिति द्वारा किया जायेगा, कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में समान दरों पर ही व नियम एवं शर्तों के अधीन ही उक्त ठेके को अगले वर्ष के होने वाले टेंडर के फाईनल होने तक कार्य करना होगा।
18. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

## निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,  
के०रा०फार्म, सूरतगढ़।

महोदय जी,

विषय:- पल्लेदारी कार्यों के लिये टेण्डर।

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022.

क.स	कार्य का विवरण (क.)	खण्ड संख्या - 2, 3 दर प्रति क्विंटल/ रुपये में
1	बोरी भराई (तोरिया, सरसों डबल बोरी में भरना )	
2	टेग बनाकर बोरी सिलाई के समय लगाना ।	
3	ट्रक/ट्राली में लादना	
4	ट्रक/ट्राली से उतारना	
5	गोदाम में 18 बोरियों की ऊँचाई तक चट्टा लगाना	
	<b>कुल योग</b>	

**नोट:-** पल्लेदारी ठेकेदार के द्वारा जो उत्पादन विनोडिंग सेंटर पर बोरियों में भरा जायेगा, उसके अंतिम दाना झाडू वाले आदमी से इकठा करवाकर बोरी में भरवाना होगा।

हस्ताक्षर .....

ठेकेदार का नाम व पता.....

.....

.....

## निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,  
के०रा०फार्म, सूरतगढ़।

महोदय जी,

विषय:- उत्पादन को उतारना,सूखाना व साफ करना आदि कार्यों के लिये टेण्डर।

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल खरीफ 2021, रबी 2021-22 व जायद 2022.

क.स.	कार्य का विवरण (ख.)	खण्ड संख्या -2, 3
1	<u>खरीफ 2021,रबी 2021-22 व जायद 2022</u> के उत्पादन को विनोइन्ग सेन्टर पर उतारना व उत्पादन को प्रतिदिन ढकना व खोलना ।	
2	सरसों,तोरिया, उर्द, ग्वार, मूंग व अन्य फसलों के उत्पादन की सफाई करना, बोरी भरना, (तोरिया, सरसों डबल बोरी में भरना ) टेग बना कर बोरी सिलाई के समय लगाना ।	
3	चना व अन्य फसलों की सफाई करना मशीन से ।	
4	जौ,चना व धान या अन्य उत्पादन को सूखाना	
	<b>कुल योग रूपयों में</b>	

**नोट:-** विनोइंग सेंटर ठेकेदार के द्वारा जो उत्पादन विनोइंग सेंटर पर बोरियों में भरा जायेगा, उसके अंतिम दाना झाडू वाले आदमी से इकठा करवाकर बोरी में भरवाना होगा । इसके साथ-2 फसलों की अलग-2 श्रेणियों का मिश्रण न होने पाये इसके लिए झाडू वाले आदमी की व्यवस्था की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

हस्ताक्षर .....

ठेकेदार का नाम व पता.....

.....  
.....